बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

नवाचार (Innovation) की संस्कृति को प्रोत्साहित करना

राज्य सरकार ने अपने ''सुशासन के कार्यक्रम 2010-15'' में संकल्पित किया है कि समाज और सुशासन के हर क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न पहलू प्रस्तावित हैः-

(i) निम्न क्षेत्रों में नवाचार/नये सृजन/सृजनात्मक प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाएगाः-

(क) प्रशासन (Governance)

(ख) शिक्षण संस्थान

(ग) सामाजिक परिवेश

(ii) इसके लिए मंशा है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में जो भी नवाचार (Innovation) व्यक्ति विशेष/संस्था के द्वारा किये जाएंगे, उन्हें पुरस्कृत तो किया ही जाएगा, साथ ही उसे आवश्यकतानुसार पेटेंट कराने, व्यापक उपयोग में लाने आदि की कार्रवाई की जाएगी।

(iii) इन नवाचारों पर निर्णय लेने के लिए जिला, प्रमंडल एवं राज्य सरकार के स्तर पर समितियाँ प्रस्तावित हैं।

आम नागरिकों से अनुरोध है कि दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में कोई सुझाव हो तो उससे दिनांक 15.02.2011 तक अवगत करावें ताकि उसे शामिल कराया जा सके। इस संबंध में आपके बहुमूल्य सुझाव ई-मेल secy-par-bih@nic.in/ फैक्स के माध्यम से अथवा निम्न पते पर भेजे जा सकते हैंः-

पताः
प्रधान सचिव, सामान्य
प्रशासन विभाग, बिहार
सरकार, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना-800015
फैक्स नं.ः 0612-2217466
पी.आर. 11671 (Personnel) 10-11

(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

वेतन-भत्ता की चादर हो जितनी, फैला पांव लालसा की उतनी।